**NOTE FOR PAD FOR STARRED ASSEMBELY QUESTION NO. 17\***

 Regarding this question reply is as follows:-

1. It is submitted that presently 10370 Safai karmis are engaged Under scheme by the different Gram Panchayats and are paid Rs. 14000/- per month. They are also given Rs. 4000/- per year as uniform allowance. They are also provided equipments like jharu, rehri, kassi and tasla by the concerned Gram panchayats. EPF & ESI benefits are also given to Safai karmis. In case of accidental death Rs. 5 lacs insurance benefit is provided to Safai Karmis by IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. In case of delay in remuneration, Rs. 500/- compensation is paid to them with next month remuneration.

In this regard it is submitted that that this scheme was introduced on 2nd oct 2007, in order to improve the sanitation condition in the villages. About 10370 Gramin Safai Karmis have been engaged by different Gram Panchayats on population basis (Census 2011) on contract :-

* Upto 2000 Population – 1 Safai Karmi
* 2001-5000 Population - 2 Safai Karmi
* 5001-10000 Population – 4 Safai Karmi
* More than 10000 Population - 6 Safai Karmi

The Gramin Safai Karmis are paid remuneration directly in their bank account though concerned BDPO office. They were paid fixed salary of Rs. 10000/- per month which was revised to Rs. 11000/- per month w.e.f 01.02.2019 & further increased to Rs. 14000/- per month w.e.f 16.07.2021

They are paid Rs. 4000/- per year for 2 pairs of uniform and shoes as Uniform Allowance. Equipments like Jharu , Rehri ,Kassi and Tasla are also provided by Gram Panchayats.

**विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 17\* बारे नोट फार पैड**

 विधानसभा तारांकित प्रश्न बारे जवाब निम्न प्रकार से हैः-

1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में 10370 सफाई कर्मी विभिन्न ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत लगे हुए हैं और उन्हें 14000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है। उन्हें वर्दी भत्ते के रूप में प्रति वर्ष 4000 रुपये भी दिए जाते हैं। उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा झाडू, रेहड़ी, कस्सी और तसला जैसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सफाई कर्मीयों को दिया जाता है। आकस्मिक मृत्यु के मामले में उन्हें 5 लाख रु का बीमा लाभ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। पारिश्रमिक में देरी के मामले में पिछले माह के पारिश्रमिक के साथ रु 500/- भी प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में गाँवों की स्वच्छता स्थिति में सुधार के लिए यह योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। लगभग 10370 ग्रामीण सफाई कर्मी विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा अनुबंध और जनसंख्या (जनगणना 2011) के आधार पर लगे हुए हैं

Û 2000 तक की जनसंख्या - 1 सफाई कर्मी

Û 2001-5000 जनसंख्या - 2 सफाई कर्मी

Û 5001-10000 जनसंख्या - 4 सफाई कर्मी

Û 10000 से अधिक जनसंख्या - 6 सफाई कर्मी

 बीडीपीओ कार्यालय द्वारा ग्रामीण सफाई कर्मी को उनके बैंक खाते में सीधे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। उन्हें प्रति माह 10000 रूपए का निर्धारित वेतन दिया गया था, जिसे संशोधित कर 1.2.2019 को 11000 रूपए प्रति माह कर दिया गया है। और 16.07.2021 से यह बढाकर 14000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

वर्दी भत्ते के रूप में उन्हें 2 जोड़ी वर्दी और जूते के लिए प्रति वर्ष 4000 रुपये दिए जाते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा झाडू, रेहड़ी, कस्सी और तसला जैसे उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं।